मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था संबन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइस/मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।

26. सम्पूर्ण परिसर एवं उनके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यो, सामुदायिक एवं जन सुविधाऐं, आवस्थापना सुविधाऐं, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संस्था को स्वम करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशो का पूर्णतया पालन करना होगा।

27. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/सामुदायिक एवं जन सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आबंटन नियमावली, पट्टा प्रलेख, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नितियों, भवन विनियमावली - 2010, नोएडा महायोजन - 2031 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानो के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण के यथावृश्यक पुर्वानुमति प्राप्त किऐ आवेदक द्वारा नहीं किया जाऐगा।

28. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारिरीक रूप से अक्षम एवं असक्त व्क्तियों के लिए आवश्यक सुविधाऐ एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।

29. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य, आवस्थापना सुविधायें, जन सेवाये एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आनेवाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा, जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्जेज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित है।

30. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आबंटी को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा ।

31. यह स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी ।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंग्न है । भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें ।

- पूर्व में उप विभाजित भूखण्ड का क्षेत्रफल - 20,700.00 वर्ग मी0
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40s - 8,280.00 वर्ग मी0
- अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 2.75 - 56,925.00 वर्ग मी0

आबंटी संस्था ने सन्दर्भित भवन को ग्रीन बिल्डिंग के लिए आई0जी0बी0सी0 ग्रीन होम्स रेटिग में पंजीकरण कराया है, जिसका पंजीकृत सं0 जीएच - 111152 है एवं इसकी प्रति पत्रावली में सम्मुख संलग्न है । ग्रीन बिल्डिंग के लिए भवन विनियमावली–2011(द्वितीय संशोधन) के अध्याय 3 के बिन्दु सं0 24.8(14) में ग्रीन बिल्डिंग के लिए 5000 वर्ग मी0 अथवा इससे अधिक के भूखण्ड पर ग्रीन भवन निर्मित करने पर उसका अनुमन्य एफ0ए0आर0 / उपलब्ध एफ0ए0आर0 का 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफ0ए0आर0 (फर्शीय तल का अनुपात) निःशुल्क अनुमन्य होगा (इस एफ0ए0आर0 में सुविधा का 15 प्रतिशत सम्मिलित नही होगा) एवं आबंटी संस्था को भवन के लिए लीड / ग्रीहा से एक रेटिंग प्रमाणक प्राप्त कर प्रस्तुत करना है और प्रत्येक 5 वर्षो के पश्चात अनुपालन का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने की दशा में प्राधिकरण उसे एक माह का नोटिस देने के बाद क्रय योग्य एफ0ए0आर0 की लागत का 200 प्रतिशत की दर से निःशुल्क दी गई एफ0ए0आर0 का प्रशमन फीस प्रभारीत करने का प्रावधान है । उल्लेखित प्रावधानों के तहत आबंटी संस्था ने संदर्भित प्रकरण में ग्रीन बिल्डिंग के लिए 5% अतिरिक्त एफ0ए0आर0 की अनुमति हेतु अनुरोध किया है । सन्दर्भित प्रकरण में ग्रीन बिल्डिंग के लिए आई0जी0बी0सी0 मे पंजीकरण के आधार पर भवन विनियमावली में ग्रीन बिल्डिंग के प्रावधानो के तहत 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफ0ए0आर0 प्रदान करने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जा सकती है ।